संख्या– 53 /VI-2/2011–71(7)2010

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिंन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः** 10 **मार्च, 2011**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुस्तक प्रकाशन हेतु लेखकों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2343/सं0नि0उ0/दो–3/2010–11दिनांक 11 जनवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में संस्कृति विभाग के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत 33– लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00 लाख के सापेक्ष ₹ 10.00 लाख (दस लाख) मात्र की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–660/VI-2/2010–2(1)/2009 दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययता को ध्यान में रखकर संगत मानकों एवं दिशा निर्देशों के आलोक में मासिक व्यय की सारिणी बनाकर नियमानुसार किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय समिति रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों एवं अन्य ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाना चाहिए।

3– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें जाय।

4– धनराशि किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया गया। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे जाय।

5– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6– धनराशि आहरण बजट की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–11, लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

8– उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–1053(पी)/XXXVII(3)/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– सम्बन्धित संस्था।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0बल्दिया)
उप सचिव।

Budget 10-11